रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238638
CG-DL-E-07092022-238638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944
No. 605] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 684(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, अधिनियम1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, कहा जा सकता है।

   (2) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज रियायत नियम,1960 में (इसके बाद मूल नियम के रुप में जाना जाता है), नियम 64 क में-

   (i) शब्द ''चौबीस प्रतिशत'' के स्थान पर ''बारह प्रतिशत'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगें

   (ii) शब्द ''का साठवां दिन'' का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल नियम में, नियम 64ख में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
   बशर्ते कि पहले परंतुक के तहत भुगतान की गई कोई भी रॉयल्टी निम्नलिखित के आधार पर समायोजन के अधीन होगी-

   (क) नमूना लेने के बाद रन -ऑफ - माइन कोयले या लिग्नाइट के ग्रेड की अंतिम घोषणा, अथवा

(ख) प्रेषण या उपभोग की तारीख पर, जैसा लागू हो, कोयला ग्रेड या राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक की प्रासंगिक बॉस्केट के राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की अंतिम घोषणा,

जैसा भी मामला हो, और पट्टाकर्त्ता को कम से कम रॉयल्टी का भुगतान या पट्टेदार को अतिरिक्त रॉयल्टी की वापसी ऐसे समायोजन के आधार पर की जाएगी।"

मूल नियम में, अध्याय XI के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय प्रतिस्थापित किए जाएंगे:—

"अध्याय-XI

दंड

76- दंड – (1) कोई भी व्यक्ति जो नियम 7 के उपनियम (1),(2) और (3), नियम 14 के उप-नियम (1),(2) और (3), नियम 16, के उपनियम (1) और (2), नियमों 18,19, 22क, नियम 22(ड.) का उपनियम (1), नियम 22च, नियम 27 के उप-नियम (1),(2) और (3), नियमों 27क और 29क, नियम 37 का उप-नियम (1), नियमों 40घ, 42, 44 से 51, नियम 62 का उप-नियम (1), नियमों 66, 66क और 72 का उल्लंघन करता है, तो उस पर दो साल तक के कारावास या पांच लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है और लगातार उल्लंघन के मामले में, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक हो सकता है।"

(2) कोई भी व्यक्ति जो नियमों 20,21ख, नियम 22ख के उपनियम (1), (2), (4), (5) और (6), नियमों 32, 33, 37क और 40ख, नियम 40ङ के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक, नियम 61, और 64क का उल्लंघन करता है, तो उस पर पांच लाख रुपये तक दंड लगाया जा सकता है, और लगातार उल्लंघन के मामले में, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रू. तक हो सकता है।"

[फा. सं. 12012/2/2021-पीएस1]

एम. नागराजू, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1398, दिनांक 23 नवंबर, 1960 को प्रकाशित किया गया था और 1 अक्टूबर, 2021 को संख्या सा.का.नि. 717 (ई) द्वारा पिछला संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2022

G.S.R. 684(E).—In exercise of powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 64A,—

(i) for the words "twenty four per cent", the words "twelve per cent." shall be substituted;

(ii) the words "the sixtieth day of" shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 64B, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that any royalty paid under the first proviso shall be subject to adjustment on the basis of-

(a) final declaration of the grade of run-of-mine coal or lignite after sampling; or

(b) final declaration of the National Coal Index of the relevant basket of coal grade or National Lignite Index, as applicable, on the date of dispatch or consumption,

as the case may be, and payment of shortfall royalty to the lessor or refund of additional royalty to the lessee shall be made based on such adjustment.".

4. In the principal rules, for CHAPTER XI, the following CHAPTER shall be substituted, namely:—

"CHAPTER XI

Penalty

76. Penalty.- (1) Any person who contravenes sub rules (1),(2) and (3) of rule 7, sub-rules (1), (2) and (3) of rule 14, sub-rules(1) and (2) of rule 16, rules 18, 19, 22A, sub-rule (1) of rule 22 (E), rule 22F, sub-rules (1), (2) and (3) of rule 27, rules 27A and 29A, sub-rule(1) of rule 37, rules 40D, 42, 44 to 51, sub-rule (1) of rule 62, rules 66, 66A and 72 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both, and in the case of continuing contravention, with additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for such contravention.

(2) Any person who contravenes rules 20, 21B, sub-rules (1), (2), (4), (5) and (6) of rule 22B, rules 32, 33, 37A and 40B, second proviso to sub-rule (1) of rule 40E, rules61 and 64Ashall be punishable with fine which may extend to five lakhs rupees, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for such contravention.".

[F. No. 12012/2/2021-PS1]

M. NAGARAJU, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1398, dated the 23rd November, 1960 and lastly amended *vide* number G.S.R 717(E) dated the 1st October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.07 23:00:48 +05'30'